न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0–16, देवरिया

फौजदारी वाद संख्या–01/2021
मुकदमा अपराध सं0–57/2021
सरकार बनाम दीपक राजभर
धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–गौरीबाजार, जनपद–देवरिया।

25.10.2021

पत्रावली पेश हुई। सत्र परीक्षण पुकारा गया। अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र धर्मेन्दर राजभर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय उपस्थित आया। राज्य की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0 तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर सुना गया एवं पत्रावली का आवलोकन किया गया।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन केस का विस्तार से वर्णन किया गया एवं अभियोजन अभिलेखों को सन्दर्भित किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त सबूत एवं साक्ष्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं इस मत का हूॅ कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाता है।

आरोप पत्र में अंकित साक्षीगण को जरिये सम्मन दिनांक–02.11.2021 के लिये तलब किया जाये। अभियोजन पक्ष इस सम्बंध में आवश्यक पैरवी करें।

(लोकेश कुमार)
विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

दिनांक–25.10.2021

न्यायालय अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0–16, देवरिया

फौजदारी वाद संख्या–01/2021
मुकदमा अपराध सं0–57/2021
सरकार बनाम दीपक राजभर
धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना–गौरीबाजार, जनपद–देवरिया।

आरोप

मैं, लोकेश कुमार अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश,(एन0डी0पी0एस0 एक्ट), कक्ष सं0–16, देवरिया, आप अभियुक्त **दीपक राजभर पुत्र धर्मेन्दर राजभर** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

1–यह कि एस0आई0 नागेश्वर सिंह व उनकी पुलिस टीम द्वारा दिनांक–24.02.2021 को समय 04:30बजे सायं को स्थान–जिल होटल के आगे बाये तरफ चकरोड जो रेलवे लाइन की तरफ जाता है के मोड़ पर चेकिंग के दौरान आप अभियुक्त के पास से 02किलोग्राम अवैध गांजा की बरामद की गयी जिसको रखने के सम्बंध में आपके पास कोई प्राधिकार नहीं था। आपका उक्त कृत्य भा0दं0सं0 की **धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट** के अधीन दण्डनीय है तथा जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(लोकेश कुमार)
विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

दिनांक–25.10.2021

अभियुक्त का प्रतिकथन–

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इन्कार किया तथा उसके द्वारा विचारण की मॉग की गयी।

(लोकेश कुमार)
विशेष सत्र न्यायाधीश(एन0डी0पी0एस0 एक्ट),
कक्ष सं0–16, देवरिया

दिनांक–25.10.2021

Digitally signed by Lokesh Kumar
Date: 2021.10.25 14:47:55 IST
Reason: Charge
Location: District and Sessions Court